प्रसार भारती/Prasar Bharati
(भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster)
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा.सं. ई-11011/03/2018-हिंदी

दिनांक: 28.11 .2018

कार्यालय ज्ञापन

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का.ज्ञा. सं. 1/14011/12/76/रा.भा.(क-1) के अनुसार देश के सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या उससे अधिक कार्यालय है उन नगरों में राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव, राजभाषा विभाग की अनुमति से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है । संबंधित नगर में स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/उपक्रमों/बैंको आदि को इस समिति का अनिवार्य रूप से सदस्य बनना होता है । इस समिति की वर्ष में छः माह के अंतराल पर दो बैठकें होती हैं जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भी दी जाती है । सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों को इन बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेना और बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करके संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और अपने मुख्यालय/मंत्रालय को सूचित करना होता है

उपर्युक्त के अनुसरण में दूरदर्शन महानिदेशालय के सभी केंद्रों/उच्च शक्ति प्रेषित्रों/लघु शक्ति प्रेषित्रों/दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्रों आदि से आग्रह किया जाता है कि वे अपने-अपने नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अनिवार्य रूप से सदस्य बनें, नियमानुसार अनिवार्य रूप से बैठकों में भाग लें और बैठक में लिए गए निर्णयों पर निर्धारित समय सीमा में अनुवर्ती कार्रवाई करें अन्यथा महानिदेशालय द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती । यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से महानिदेशालय को भी समय-समय पर अनिवार्य रूप से अवगत कराते रहें ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

28/11/18

सत्य प्रकाश
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

सभी दूरदर्शन केंद्र/उच्च शक्ति प्रेषित्र/लघु शक्ति प्रेषित्र/दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र